Government of India(Bharat Sarkar)
Ministry of Railways(Rail Mantralaya)
(Railway Board)
******

No.99/TG.I/20/P. New Delhi, Dated: 22 .12.1999.

The General Managers,
All Zonal Railways.

(Commercial Circular No. 47 of 1999)

Sub: Entitlement of Governors for undertaking journeys by Rail.

The entitlement of the Governors is governed by (Emoluments, Allowances and Privileges) Act, 1982 and rules framed thereunder viz., the Governors(Allowances and Privileges) Rules 1987. The entitlement of Governors has been indicated in Annexure 'F' of IRCA Coaching Tariff No. 25 Part I(Volume I).of 15th January, 1998. While going through the entitlement of the Governors, it has been observed that the entitlement given in the Annexure 'F' of IRCA Coaching Tariff No. 25 Part I(Volume I).of 15th January, 1998 is old. The position has been checked up with the Ministry of Home Affairs and it has been advised that the entitlement of the Governors to travel by rail is as under:-

(i) For his journey within the State by rail, he shall be entitled to travel in a four berth compartment or coupe, whether first-class air-conditioned or first class and during such a journey a Governor shall be entitled to take with him three persons in case of a four berth compartment and one person in case of a coupe, without any extra charge.

(ii) For journeys on official business to places outside the State, a Governor shall be entitled to travel in a four berth compartment or coupe, whether first class air-conditioned or first class and during such a journey, shall be entitled to take with him three persons in the case of a four berth compartment and one person in the case of a coupe, without any extra charge.

(iii) A Governor shall be entitled to travel on private business twice in a year during which he shall be entitled to take his spouse by air, steamer or rail by the highest class or by road, to any part of India and such travel shall be deemed to be travel on duty;

...2/-

Provided further that if the Governor is not accompanied by his spouse, he may take a companion, who shall travel by the standard class.

Explanation: For the purpose of this clause, a journey shall mean a point-to-point journey by the shortest route.

Please acknowledge receipt of this letter.

(O.P. Chawla)
Joint Director, Traffic Comml.(G),
Railway Board.

Copy to:-

1. CCM(PS)s & CCM(PM)s, all Zonal Railways.
2. OSDs/East Coast Railway, Bhubaneswar, East Central Railway, Hajipur, North Central Railway, Allahabad, North Western Railway, Jaipur, South Western Railway, Bangalore, West Central Railway, Jabalpur.
3. ED(C&IS), EDV(T), EDTC(R), OSD/TC, V(SS), C&IS, TG.V, TC-II Railway Board.
4. Professor/Training & Professor/Comml., Principal, Railway Staff College, Vadodara.
5. GM(PRS)/CRIS, Chankayapuri, New Delhi.

******

भारत सरकार

रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड

सं. 99/टी जी. 1/20/पी — नई दिल्ली, दिनांक 22/12/99

महाप्रबंधक,

सभी क्षेत्रीय रेलें.

वाणिज्य परिपत्र सं. 47

विषय :- रेल द्वारा यात्राएं करने के लिए राज्यपालों की पात्रता .

राज्यपालों की पात्रता (परिलब्धियों भत्तों एवं विशेषाधिकार) अधिनियम, 1982 एवं इसके अधीन बनाए गए नियमों यथा राज्यपाल (भत्ते एवं विशेषाधिकार) नियम 1987 द्वारा शासित होती है । राज्यपालों की पात्रता 15 जनवरी, 1998 की भारतीय रेल सम्मेलन कोचिंग दर सूची सं. 25 पार्ट-1 (वाल्यूम-1) के अनुबंध "एफ" में दर्शाई गई है । राज्यपालों की पात्रता का अध्ययन करते समय, यह पाया गया है कि 15 जनवरी, 1998 की भारतीय रेल सम्मेलन कोचिंग दर सूची सं. 25 पार्ट-1 (वाल्यूम-1) के अनुबंध "एफ" में दी गई पात्रता पुरानी है । गृह मंत्रालय में स्थिति की जांच की गई है एवं यह सूचित किया गया है कि रेल द्वारा यात्रा करने संबंधी राज्यपालों की पात्रता नीचे दिए गए अनुसार है :-

(i) रेल द्वारा राज्य के भीतर अपनी यात्रा के लिए राज्यपाल चार बर्थ वाले कंपार्टमेंट या कूपे में, चाहे वह प्रथम श्रेणी वातानुकूलित हो या प्रथम श्रेणी, यात्रा करने का हकदार होगा और ऐसी यात्रा के दौरान वह चार-बर्थ वाले कंपार्टमेंट की दशा में तीन व्यक्ति और कूपे की दशा में एक व्यक्ति, किसी अतिरिक्त प्रभार के बिना, अपने साथ ले जाने के लिए हकदार होगा ।

(ii) राज्य के बाहर के स्थानों के लिए सरकारी कार्य से संबंधित यात्राओं के लिए राज्यपाल चार बर्थ वाले कंपार्टमेंट या कूपे में, चाहे वह प्रथम श्रेणी वातानुकूलित हो या प्रथम श्रेणी, यात्रा करने का हकदार होगा और ऐसी

-2

यात्रा के दौरान चार-बर्थ वाले कंपार्टमेंट की दशा में वह तीन व्यक्ति और कूपे की दशा में एक व्यक्ति, किसी अतिरिक्त प्रभार के बिना, अपने साथ ले जाने का हकदार होगा ।

§iii§ राज्यपाल निजी कार्य से एक वर्ष में दो बार यात्रा करने का हकदार होगा जिसके दौरान वह अपने पति या पत्नी को वायुयान, स्टीमर या रेल की उच्चतम श्रेणी द्वारा या सड़क द्वारा भारत के किसी भाग में ले जाने का हकदार होगा और इस प्रकार की यात्रा को ड्यूटी पर की गई यात्रा के समान समझा जाएगा ।

परंतु यह भी प्रावधान है कि यदि राज्यपाल अपने पति या पत्नी के साथ नहीं है तो वह एक साथी को ले जा सकता है जो मानक श्रेणी द्वारा यात्रा करेगा ।

स्पष्टीकरण : इस खण्ड के प्रयोजन के लिए, यात्रा का अर्थ होगा कम से कम दूरी के मार्ग द्वारा किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक की यात्रा ।

कृपया इस पत्र की पावती दें ।

ओ॰पी॰चावला

§ ओ० पी० चावला §
संयुक्त निदेशक, याता० वाणि० §सा०§,
रेलवे बोर्ड.